



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India



स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

प्रचार-प्रदर्शनी/0022/2023-प्रचार

दिनांक 26/09/2023

परिपत्र

विषय: "वोल्ड फूड इंडिया 2023" में स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिभागिता-बाबत।

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार 03 से 05 नवंबर 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले "वोल्ड फूड इंडिया 2023" कार्यक्रम में भाग ले रहा है। बोर्ड ने प्रतिभागिता के लिए 195 वर्ग मीटर का एक अनन्य क्षेत्र बुक किया था।

स्पाइसेस बोर्ड अपनी स्टॉल में पंजीकृत मसाला निर्यातक + किसान समूहों के सह-प्रतिभागिता आमंत्रित करता है। बोर्ड निर्यातकों के लिए सामान्य क्षेत्र प्रतिभागिता का प्रस्ताव करता है। प्रत्येक निर्यातक/किसान समूह को बोर्ड के पविलियन में भंडारण क्षमता, फासिया, ब्रांडिंग विकल्पों के साथ और 2 कुर्सियों के साथ एक ग्लास काउंटर टेबल आबंटित किया जाएगा।

सह-प्रतिभागिता के लिए अनिवार्य शर्तें:

1. आवेदक को स्पाइसेस बोर्ड का एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
2. केवल तिमाही निर्यात विवरणी समय पर प्रस्तुत करने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदकों का चयन:

1. पहली बार के प्रतिभागियों, उत्तर-दक्षिणी क्षेत्र के मसाला निर्यातकों और अ.जा/अ.ज. निर्यातकों को तरजीह दी जाएगी।
2. आवेदनों पर राज्य-वार विचार किया जाएगा और सूची 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर तैयार की जाएगी।
3. आवेदनों की प्रस्तुति स्थान के आबंटन की गारंटी नहीं होती। स्थान का आबंटन उपलब्धता के अधीन है।
4. बोर्ड के पास सह-प्रतिभागिता के निबंधन और शर्तों में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार है। स्थान का आबंटन और सह-प्रतिभागिता से संबंधित सभी मामले से संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रतिभागिता शुल्क Rs. 29,500/- रु. (25,000+ 18 प्रतिशत जीएसटी) निर्धारित है। इच्छुक निर्यातक 06 अक्टूबर 2023 को शाम 5.00 बजे को या उससे पहले publicity.sb-ker@gov.in को ई-मेल देकर और prathyush.tp@nic.in को प्रतिलिपि भेजकर अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि करेगा। जो निर्यातक ई-मेल द्वारा अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि करता है उसे प्रतिभागिता शुल्क भुगतान करने की लिंक मिलेगा। उस लिंक के द्वारा निर्यातक भुगतान कर सकता है।

प्रतिभागिता पुष्टीकरण ई-मेल में निम्नलिखित दस्तावेज़ एवं विवरण शामिल होंगे।

क. कंपनी का नाम (सीआरईएस के अनुसार) :

ख. फोन एवं ई-मेल के साथ कंपनी का पूरा पता :

ग. सीआरईएस पंजीकरण संख्या:

घ. मसाला निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र (सीआरईएस की प्रति संलग्न करें)

ङ. कार्यक्रम पर उपस्थित होने वाले कंपनी प्रतिनिधि(यों) का नाम, पदनाम, मोबाइल नं और ई-मेल आईडी

कृपया ध्यान रखें कि बोर्ड के हॉल के माध्यम से केवल मसाले एवं मसाला उत्पादों का प्रदर्शन एवं संवर्धन की अनुमति होगी। निर्यातकों से उच्च मांग और स्लॉट के सीमित उपलब्धता के कारण, यदि एक कंपनी को एक स्लॉट दी जाती है तो, उसकी सहयोगी संस्थाएँ/समूह कंपनियों को आगे की स्टॉलों के आबंटन के लिए अन्य तीसरे पक्ष की कंपनियों की तुलना में कम तरजीह दी जाएगी। बोर्ड सह-प्रतिभागिता के निबंधन और शर्तों पर आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। स्थान का आबंटन और सह-प्रतिभागिता के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बोर्ड द्वारा केवल अपनी ही स्टॉल पर सह-प्रतिभागिता की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिभागिता की पुष्टि की घोषणा अंतिम तिथि के बाद ही की जाएगी।